IJSSRA | ISSN: 3107-6238
July-September 2025 | Vol. 01 | Issue 2

भारतीय दिव्यांग महिलाएं: इतिहास एवं संघर्ष

पूजा कुमारी शाह[1] & डॉ. सुमन पाल[*2]

[1]शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

ई-मेल: poojashah50284@gmail.com

[*2]पूर्व-शोधार्थी, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

ई-मेल: suman.mgahv777@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17331844

Accepted on: 30/09/2025 Published on: 10/10/2025

सारांश:

*भारत में महिलाओं को सौन्दर्य की अभिव्यक्ति और महाशक्ति का उद्गम स्थल "मातृदेवो भव" के आदर्श की जननी माना गया है। महिलायें पूर्व वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक सौन्दर्य का पर्याय रही हैं। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त थी। मंत्रो की रचना करने वाली कई विदूशी महिलाएं थी जैसे घोषा, आपाला, विश्ववारा, लोपमुद्रा आदि। एक ओर समाज में नारी की दुर्दशा थी दूसरी ओर महाभारत काल में माता को श्रेष्ठ गुरु तथा मातृवध को महापाप बतलाता है। यहां तक कि कन्या के लिए महाभारत में **"नित्यं निवसते लक्ष्मी कन्यकासु प्रतिष्ठिता"** भी कहा गया है। केवल कहा ही नहीं गया अपितु महाभारत में गांधारी कन्या की कामना भी की गई है। **"वैदिक काल में स्त्रियों को जो सम्मान अधिकार प्राप्त थे स्मृति काल में वह कम हो गये जिससे वे निःसहाय परतन्त्र निर्बल बन गयी क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण उसकी स्थिति निरन्तर हासोन्मुख होती गयी।** " भारत में दिव्यांग महिलाओं का समाज में सम्मान रहा है, लेकिन उनके अधिकार और अवसर सीमित रहे हैं। उन्हें परिवार और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अवसर मिलता था और वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन राजनीतिक और संपत्ति संबंधी अधिकार कम थे। समाज और परिवार उनकी देखभाल करते थे और उन्हें सम्मान देते थे। दिव्यांग महिलाओं का योगदान मुख्य रूप से पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन तक सीमित था। उनके संघर्ष और भागीदारी ने समाज को संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण की ओर प्रेरित किया। इस प्रकार, भारत में दिव्यांग महिलाएं सम्मानित थीं, लेकिन उन्हें समान अवसर और स्वतंत्रता पूरी तरह प्राप्त नहीं थी। महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाए। दिव्यांगता,ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई महिला सामान्य महिला की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। भारत में तकनीकी दृष्टि से ऐसे महिलाओं को दिव्यांग माना गया है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत से कम*

दिव्यांगता का शिकार न हो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की गयी। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" की शुरूआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ***उदाहरण*** *दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का उद्देश्य समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सुगम वातावरण सृजित करना है। दिव्यांगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1995 अधिनियम पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम में परिवर्तन किया गया अब यह 2010 अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम दिव्यांगों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध है। इस अधिनियम में दिव्यांगों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों की समानता की बात की गयी है।*

मुख्य शब्द*: दिव्यांग महिलाएं, वैदिक काल, अधिकार एवं संघर्ष और महिला सशक्तिकरण।*

प्रस्तावना:

भारतीय समाज में दिव्यांगता को शारीरिक या मानसिक अक्षमता के रूप में देखा जाता था। हालांकि, किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक अंतर को नैतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से नीचा नहीं माना जाता था। गृहस्थ जीवन, मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों में महिलाओं का विशेष महत्व था। इस दृष्टि से दिव्यांग महिलाओं को भी परिवार और समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त था। वे अपने परिवार के जीवन में योगदान देती थीं और पारिवारिक निर्णयों में शामिल होती थीं, धार्मिक दृष्टि से दिव्यांग महिलाओं का महत्व उस समय भी समझा जाता था। वैदिक धर्म में गृहस्थ जीवन और मातृत्व को अत्यंत महत्व दिया गया। दिव्यांग महिलाओं को भी परिवार में मातृत्व का अधिकार प्राप्त था। यदि वे अपने परिवार की देखभाल कर सकती थीं, तो उन्हें पारिवारिक जीवन में बराबर सम्मान दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, वे धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ में भाग लेकर समाज में आध्यात्मिक योगदान दे सकती थीं। दिव्यांग महिलाओं की यह भागीदारी समाज को यह संदेश देती थी कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता किसी भी व्यक्ति के मूल्य को कम नहीं कर सकती। वैदिक काल में दिव्यांग महिलाओं के लिए रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता सीमित थी। संपत्ति के अधिकार सामान्य महिलाओं के लिए भी सीमित थे, और दिव्यांग महिलाओं के लिए यह और भी कम था। परिवार उनकी देखभाल करता था और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता था। हालांकि, वैदिक साहित्य और इतिहास में दिव्यांग महिलाओं के संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक योगदान के उदाहरण मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे समाज में केवल उपेक्षित या निर्भर नहीं थीं, बल्कि

सम्मान और सहयोग की पात्र थीं। वैदिक काल में उच्च शिक्षित और विदुषी महिलाओं का उदाहरण भी मिलता है। घोषा, अपाला और विश्ववारा जैसी महिलाओं ने शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों में विशेष योगदान दिया। दिव्यांग महिलाओं ने भी इन विदुषी महिलाओं की तरह समाज में अपने ज्ञान और कौशल के अनुसार योगदान देने का प्रयास किया। यह दिखाता है कि वैदिक समाज में महिलाओं की प्रतिभा और क्षमता की मान्यता थी, भले ही उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति अलग थी। उत्तरवैदिक काल में पुत्री का जन्म एक आपत्ति तथा चिन्ता का विषय बन गया। यूनानी लेखकों के अनुसार स्त्रियां अविवाहित रहकर आजीवन दर्शनशास्त्र का अध्ययन करती थी। वात्स्यायन ने स्त्रियों को 64 कलाओं में निपुण होना बताया है। पाणिनी की अष्टाध्यायी में भी कन्याओं के लिए छात्रावासों का वर्णन है जिन्हें छात्राशिला कहते है । उपनिषद् में शिक्षित नारियों का उल्लेख है, किन्तु जहां तक सम्पूर्ण महिलाओं का सवाल है तो उसमें निश्चित ही अवनति रही है । अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता 'भार्या मूले त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिण्यसः' का उल्लेख है |

दिव्यांग महिलाएं समाज का एक संवेदनशील और बहुमूल्य हिस्सा हैं। इतिहास में उनका संघर्ष अक्सर दोहरी चुनौती रहा है | समाज में सामान्य महिला होने की सीमाएँ और शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं के कारण विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था । प्राचीन काल में भी समाज में दिव्यांग महिलाओं को कई बार भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था, जबकि वे अपनी क्षमता और प्रतिभा के अनुसार परिवार और समाज में योगदान देती थीं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र में उन्हें सीमित अवसर मिलते थे, जिसके कारण उनका विकास बाधित होता था। वर्तमान समय में दिव्यांग महिलाएं अनेक क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रही हैं। वे शिक्षा, खेल, कला, विज्ञान और सामाजिक कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इसके बावजूद, उन्हें अभी भी कई सामाजिक, आर्थिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में समावेशिता, समान अवसर और विशेष सहायता प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण योगदान दे सकें। दिव्यांग महिलाओं का संघर्ष केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि समाज में समानता और सम्मान की दिशा में भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सामाजिक जीवन में दिव्यांग महिलाओं की भागीदारी सामान्य महिलाओं की तुलना में कम होती थी। वे सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो सकती थीं। इसके पीछे मुख्य कारण उनकी शारीरिक अक्षमता और समाज में महिलाओं की सीमित राजनीतिक भूमिका थी। वैदिक समाज में सामान्य महिलाओं के लिए भी राजनीतिक अधिकार सीमित थे, इसलिए दिव्यांग महिलाओं के लिए ये अधिकार और भी कम थे। दिव्यांग महिलाओं की **सामाजिक चुनौतियाँ** केवल अधिकारों की कमी तक सीमित नहीं थीं। उन्हें कई बार सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों

और समाज में मान-सम्मान बनाए रखने के लिए उन्हें अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता था। इसके बावजूद, वैदिक समाज ने दिव्यांग महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखने का प्रयास किया। उनका अस्तित्व केवल सहायक या निर्भर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, बल्कि उन्हें समाज और धर्म में **मूल्यवान सदस्य** माना जाता था। "1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं की पुरूषों के बराबर वैद्यानिक राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण से आशय प्राथमिक रूप में महिलाओं की समाजिक और आर्थिक दशा में सुधार करना है।"

दिव्यांगता, ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। भारत में तकनीकी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग माना गया है जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता का शिकार न हो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एसिड अटैक से पीड़ितों को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्योग्यता की एक अलग श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। पहले दिव्यांगों को विकलांग या अपंग (Handicapped) के नाम से सम्बोधित किया जाता था, किन्तु सरकार एवं विभिन्न सिविल समाज संगठनों के प्रयास से इन्हें 'शारीरिक रूप से अक्षम/अपंग' (Physically Challenged) और अब 'अलग तरह से योग्य' (Differently Able)से सम्बोधित किया जाने लगा है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का विषय निर्दिष्ट है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'दिव्यांगजनों और बेरोज़गारों को राहत' का विषय निर्दिष्ट है।

दिव्यांग महिलाओं के लिए सरकारी प्रयास: विशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल, सुगम्य भारत ,दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances),दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप

(National Fellowship for Students with Disabilities) उपलब्ध कराया गया है | एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।

सुगम्य भारत अभियान:

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की गयी। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है।अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है।

सुगम्य पुस्तकालय:

सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच "सुगम्य पुस्तकालय" की शुरूआत की गई है, जहाँ दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिये अलग से व्यवस्था की गई है। सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे- मोबाइल फोन, टैबलेट, कम्प्यूटर इत्यादि का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं।

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना:

इस योजना का उद्देश्य समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सुगम वातावरण सृजित करना है।

दिव्यांगों के कानूनी अधिकार:

दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम द्वारा 1995 अधिनियम पारित किया गया। बाद में इस अधिनियम में परिवर्तन किया गया अब यह 2010 अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम दिव्यांगों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध है। इस अधिनियम में दिव्यांगों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों की समानता की बात की गयी है। हमारे दैनन्दिन जीवन में ही नहीं, संस्थाओं, साहित्य, समाचार-पत्रों और पुस्तकों में भी

दिखाई देता है। भारत की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाएँ हैं। इनमें बहुसंख्यक महिलाएँ निरक्षर हैं। महिला दशक के आरंभ अर्थात् 1975 में, भारतीय संसद में 524 सदस्यों में से मात्र 25 और राज्य सभा में 241 में से केवल 18 सदस्य महिलाएँ थीं। दस वर्ष बाद आज महिला दशक के अन्तिम वर्ष (1985 में) इन जनतांत्रिक संस्थाओं में महिला सदस्यों की संख्या दुगुनी तक नहीं हो पाई थी। उनकी संख्या के मान से उनको प्रतिनिधित्व मिलने का सपना तो शायद 21वीं शताब्दी में भी पूरा होता दिखाई नहीं देता। फिलहाल, हमारे देश और समाज के लिये चिन्ता की बात लिंग अनुपात जेन्डर - रेशो) का असंतुलन है। लड़कियों की जन्म-दर घटती जा रही है। हमारे देश में स्वास्थ्य पर लगभग संपूर्ण खर्च व्यक्तियों और परिवारों द्वारा ही उठाया जाता है। समस्या की विकटता को देखते हुए दिव्यांग महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार को प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिये। ज्ञान आधारित समाज में लगभग हर एक व्यवसाय में ज्ञान की हिस्सेदारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिये दिव्यांग महिलाओं की शिक्षा का प्रसार और उन्नयन निरन्तर होता रहना चाहिये ताकि उनका सशक्तीकरण होता रहे।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय दिव्यांग महिलाओं का इतिहास संघर्ष और प्रेरणा से भरा हुआ है। प्राचीन काल में उनका जीवन सीमित अवसरों के बावजूद सम्मानित था। मध्यकाल में उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान दिया। दिव्यांग महिलाओं का इतिहास और उनका संघर्ष आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो समावेशी और समान अवसर देने वाले समाज के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सशक्तिकरण अपने में एक सम्पूर्ण अवधारणा है तथापि दिव्यांग महिलाओं के सशक्तिकरण के कई पक्ष हो सकते है। जैसे- सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सशक्तिकरण कानून द्वारा सशक्तिकरण आदि। वैसे तो सशक्तिकरण का आर्थिक पहलू अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और आर्थिक स्वावलम्बन अपने में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है इसे सशक्तता की दिशा में पहला कदम माना जाता है। यह अवधारणा अपने में अत्यन्त व्यापक हैं इसका तात्पर्य वास्तव में सामाजिक परिवर्तन है अर्थात समाज के ढांचे जिनमें ऐसी संस्थाएं रीति-रिवाज मान्यताएं सम्मिलित है जो स्त्रियों की नीची स्थिति को बढ़ावा देती है इनमें परिवर्तन लाना ताकि स्त्रियों के प्रति भेद-भाव समाप्त हो और उन्हें बराबरी कर दर्जा मिल सकें। यद्धपि "दिव्यांगता" सविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है , भारत सरकार हमेंशा ही दिव्यांगता क्षेत्र में रही है। यह न केवल 8 राष्टरीय संस्थान (एनआई) जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओ से संबंधित है और 20 समेंकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी),जो दिव्यांगजनों को पूनर्वाष सेवाए प्रदान करते हैं और पूनर्वाष व्यावसायिकों के लिए पाठ्यकृम चलाते हैं बल्कि साथ ही इसी प्रकार की समान सेवा के

लिए बड़ी संख्या में एनजीओ को निधियां प्रदान करती है और साथ ही **नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवेल्पमेंट कारपोरेशन (एनएचएफडीसी)** जो दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर ऋण भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित (i) एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा - दिसम्बर, 1992 में बीजिंग में अपनाई गई, और (ii)दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सयुक्त राष्ट अधिवेशन (यूएनसीआरपीपीडी), जो मई, 2008 में प्रभावी हुआ। आधुनिक भारत में दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों को कानून, अधिनियम और सरकारी योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। उनके संघर्ष और उपलब्धियाँ समाज को यह सिखाती हैं कि **समानता, शिक्षा और सम्मान** हर महिला का अधिकार है, चाहे वह दिव्यांग हो या सामान्य हो सभी के लिए अधिकार जरुरी है |

संदर्भ सूची

- सुलभ भारत अभियान (2022). *सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत को सुलभ बनाना*, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. https://disabilityaffairs.gov.in
- तिवारी, पी. & मिश्रा, आर. (2020). भारत में दिव्यांग महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान और सामाजिक चुनौतियाँ. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च, 12*(3), 101–115. https://doi.org/10.2345/ijsr.v12i3.101
- चौधरी, ओ. (2018). *शिक्षा, समाज और परिवर्तन*. क्लपाज पब्लिकेशन.
- विकलांगजन अधिकार अधिनियम *(*2016). कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार. https://disabilityaffairs.gov.in
- सोलंकी, एल. (2015). *महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायतीराज*. क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी.
- सिंह, उ. & गर्ग, आर. (2012). *महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम*. अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
- झा, एम. (2010). *समावेशी शिक्षा: दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं* . प्रकाशन संस्थान
- मिश्र, वि. (2008). *विकलांगों के अधिकार*. कल्याणी शिक्षा परिषद.